45

संख्या– 45 / XXXVI(1) / 2012–326 / 2001

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक
लोक सेवा अधिकरण,
316, फैज–II, बसन्त विहार,
देहरादून।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 1 मार्च, 2012

विषय-- उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण हेतु सृजित 03 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–23 / XXXVI(1) / 2011–326 / 2001 दिनांक 09–02–2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 12–एक(4) / छत्तीस(1) / न्याय अनुभाग / 2004 दिनांक 06–08–2004 द्वारा सृजित वाहन चालक का 01 पद एवं शासनादेश संख्या 65–एक(4) / छत्तीस(1) / 05–326 / 2001 दिनांक 28–11–2005 द्वारा सृजित वरिष्ठ लिपिक के 02 कुल 03 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायें दिनांक 01–03–2012 से दिनांक 28–02–2013 तक बढाये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–04–लोक सेवा अधिकरण–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–1270 / 76–दस दिनांक 20 जुलाई 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877 / दस–92–24(8) / 92 दिनांक 07–11- 1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या– 45 (1) / XXXVI(1) / 2012–326 / 2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–5 / कार्मिक अनुभाग / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव

D:\Bhagwan folder\vividh letter.doc